आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021/ **जयपुर दिनांकः** 28 JUL 2022

आदेश

कृषि भूमि पर दिनांक 31.12.2021 से पूर्व भूखण्ड निर्माण/सृजन होकर अकृषि उपयोग होने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए (8) की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत अलग-अलग क्षेत्र में छितरे हुये स्थानों पर अकृषि उपयोग हो चुके भाग की 90-ए(8) की कार्यवाही अलग-अलग की जाती है, जिससे समय अधिक लगता है एवं राजस्व रिकॉर्ड में स्थानीय निकाय के नाम भूमि दर्ज होने में समस्या उत्पन्न होती है। अतः छितरे हुये रूप में अकृषि उपयोग हो चुके प्रत्येक क्षेत्र के स्थान पर उस सम्पूर्ण क्षेत्र की 90-ए(8) की कार्यवाही सुओ-मोटो की जावें। भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित निकाय के नाम दर्ज होने एवं किस्म आबादी होने के पश्चात् निम्न प्रकार कार्यवाही की जावें-

1. 90-ए(8) की कार्यवाही के साथ ही उस क्षेत्र का सर्वे कराकर मौके पर निर्माण को देखते हुये 60 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो तो आंतरिक सडकें 20 फीट, 60 प्रतिशत से कम निर्माण हो तो आंतरिक सडकें 30 फीट रखी जायेगी तथा यह सुनिश्चित करते हुये कि एम्बुलेन्स व अग्निशमन वाहनों का आसानी से आवागमन हो सके, बसावट के अनुसार पट्टे दिये जावें।
2. 90-ए हो चुका क्षेत्र रिक्त है एवं खातेदार/विकासकर्ता द्वारा योजना प्रस्तावित की जाती है, तो टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार ले-आउट प्लान स्वीकृत कर पट्टे दिये जा सकेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत शासन विभाग

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
13. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

Scanned with CamScanner